ले.प.प्रति.सं.-33/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़ के **10/2013** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **15.10.2018** से **20.10.2018** तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u> प्रथम लेखा परीक्षा।**

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **10/2013** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **जिला पिथौरागढ़**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	12.52	12.52	302.93	292.15	-	10.78
2016-17	-	-	16.50	14.57	369.57	347.67	-	-
2017-18	-	-	20.46	20.26	352.94	350.76	-	-
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	-	-	17.45	11.75	395.50	174.90	-	-

(ब) Autonomous Bodiesविगततीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः

निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

महानिदेशक होमगार्डस
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी होमगार्डस
सहायक उपमहाषमादेष्टा, होमगार्डस
मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस
जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **07/2015, 11/2016, 03/2017** एवं **06/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

..............................शून्य................................

Part- II(B)

Para:1- Non-levy of service tax by the department.

Clarifications issues by the Service Tax Department in September 2011 provide that though the burden of Service Tax rests on the service recipient, the law requires the service provder to collect the tax from the service recipient on the services provided and deposit the same in the Government Account. Further, Para 7.2 envisaged that irrespective of whether the service provider receives the Service Tax form his client (service recipient) or not, he is legally bound to pay the due Service Tax in respect of the services rendered by him. However, the tax liability will be to the full extent on the total amount to be received by the service provider.

Audit Scrutiny of records revealed that Department did not levy Service Tax in respect of duty allowances of volunteers in Home Guards, engaged on commercial duty during the period 2014.15 to 21017-18 in Fertiliser Corporation of India as per table given below.

Sr.no.	Financial Year	No. of Homeguards outsourced to semi-govt. officers/PSUs	Wages relised
1.	2014-15	48	389540
2.	2015-16	48	532590
3.	2016-17	48	589835
4.	2017-18	48	606135
Total		192	2118100

The Department outsourced home guards to Fertiliser Corporation of India and charged wages but did't charge service tax. We further notice that when the department hired personals from UPNC (Uttrakhand Purva Sainik Kalyan Nigan Ltd.), UPNL sevice tax @15% and prior to implementation of GST, and thereafter @ 18% (9% CGST+9% SGST).

On this being pointed out, the department replied that service tax. The reply is not acceptable, because it was the duty of the department to collect service tax from the client department and deposit it into the Govt revenue account.

Therefore, the matter is being brought to notice of higher authorities.

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री दीपक पन्त	जिला कमाण्डेन्ट	14.12.2010	18.02.2015
2.	श्री ललित मोहन जोशी	जिला कमाण्डेन्ट	19.02.2015	19.09.2016
3.	श्री ओम प्रकाश टम्टा	जिला कमाण्डेन्ट	20.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र